18.07.2025

राज्य द्वारा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।

अभियुक्त सहित श्री राजेश मिश्रा अधिवक्ता।

।प्रकरण राजीनामा आवेदन पर विचार हेतु नियत है।

अभिलेख पर पूर्व से अभियुक्तगण एवं प्रार्थी ओर से राजीनामा आवेदन अंतर्गत धारा 320(1), 320(2) द.प्र.सं. प्रस्तुत है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया कि अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 294,323,506बी,34 के अधीन दण्डनीय अपराधों का अभियोग विचाराधीन है। आवेदक/प्रार्थी अभियोजित अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है। प्रार्थी द्वारा उक्त राजीनामा स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के अपराध का शमन करना व्यक्त किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध विचाराधीन अपराध अंतर्गत धारा 294,323,506बी,34 भादसं

शमनीय प्रकृति के होकर शमन योग्य हैं। उभयपक्ष के मध्य स्वेच्छया सहमति से समझौता होना दर्शित है। उनके मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। उभयपक्ष के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो जाने तथा न्यायालय का समाधान होने से उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं अभियुक्त **आशीष उर्फ मन्टू चतुर्वेदी, पिता राजेश चतुर्वेदी, उम्र–35 वर्ष, निवासी वार्ड नं0–7 जयसिंहनगर, जिला शहडोल म0प्र0** को धारा 294,323,506बी,34 भादसं के अपराध में राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

अभियुक्त यदि विचारण या अन्वेषण के दौरान निरोध अवधि में रहा हो तो धारा 428 दप्रसं के तहत प्रमाण–पत्र निर्मितकर संलग्न प्रकरण किया जावे।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार संचित हो।

(सुश्री लघुता मरकाम)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जयसिंहनगर जिला शहडोल (म0प्र0)

LAGHUTA MARKAM

Digitally signed by LAGHUTA MARKAM